



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265216
CG-DL-E-05082025-265216

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3501]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3501]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3587(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 1अप्रैल, 2025, जारी संख्यांक 1532 में प्रकाशित भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1550 (अ). तारीख 28 मार्च, 2025 में,-

पंक्ति 3 में,

"स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8(ख), (ग) और (घ)"
के स्थान पर

"स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8(ख), (ग) और (घ), 10 और 13"

पट्टे।

[फा. सं. 19017/1/2015- नीति I (ई-3131144)]

5224 GI/2025

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव